न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/560

अब्दुल रशीद खॉ आत्मज श्री अब्दुल कदीर खॉ जाति मुसलमान निवासी मजिस्जद के पास तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती भंवरी बाई आयु 72 वर्ष पत्नी श्री संग्राम सिंह जाति राजपूत निवीस ग्राम छपावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 183 के अन्तर्गत ग्राम छपावदा तहसील व जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 621/121 रकबा 07 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि के उत्तरी तरफ वादिनी के पति संग्राम सिंह के खाते व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 120 है तथा पश्चिम तरफ प्रतिवादी के खाते व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 623/121 है । खसरा नम्बर 621/121 एवं 623/121 क मध्य पुरानी मेड बनी हुई जिसके पूर्वी तरफ वादिनी का कब्जा काश्त है । प्रतिवादी क्रम 1 उक्त मेड को तोडने एवं वादिनी के खाते एवं कब्जे की भूमि पर दुकानों का निर्माण करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादिनी के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 621/121 के पश्चिमी हिस्से पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अतिक्रमण करके किये गये निर्माण कार्य को प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटाया जावे

और कब्जा की गई 10 बिस्वा भूमि पर वादिनी को कब्जा दिलाया जावे । प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य नहीं करे और भूमि के स्वरूप को किसी प्रकार परिवर्तित नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 के द्वारा वादिनी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में चल रही थी तथा तारीख पेशी दिनांक 31.05.2017 नियत थी किन्तु बिना अपीलान्ट को सूचित किये प्रकरण को लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में सीपीसी की पालना किये बिना निर्णित कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । प्रार्थी दिनाक 31.05.2017 को तारीख पर गया तो बताया गया कि अभी कैम्प चल रहे हैं कैम्प समाप्त होने के बाद ही तारीख की सूचना दी जावेगा । दिनांक 11.09.2017 को वकील साहब तालेडा न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उन्होंने उक्त प्रकरण के बाबत् पूछा तो उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । जिस पर दिनांक 11.09.2017 को नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 24.10.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद साक्ष्य वादी में चल रहा था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में कानूनी प्रकिया को पूरा किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण साक्ष्य वादी में चल रहा था और आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.05.2017 नियत की गई । इससे पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में दिनांक 25.05.2017 को दावा वादी डिक्री किया गया है । लोक अदालत में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 के उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाए गये हैं प्रतिवादी कम 1 उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुआ है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा